

16	1216	श्री पूरुषमत खीचड़ क.ले. सेवानिवृत्त 6.7.60	Jr.Acctt	RT	06-07-1960	एफ.1(सी) 1216 / जांच / 445-49 दि. 29.2.08	1. समहित राजकीय राशि को लंबे समय तक अपने पास रखना 2. आर.सी.आर. सी.बी. की जांच नहीं करना 3. रसीद बुक कार्यालय में जमा नहीं करना	NO	विभागीय संशोधित आदेश कमंक 782-786 31.8. 2021 के द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित 2022 के द्वारा कोषाधिकारी सीकर किये गये ।	विभागीय आदेश कमंक 208-213 दिनांक 23.06. 2022 के द्वारा श्रीमती भारती नेथानी, जिला परिवहन अधिकारी सीकर	NO	प्रकरण में विभागीय पत्रांक 15213-16 दि. 15.1.09 के द्वारा अपराध स. 15/08 में आरोपी कर्मिक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी है। अतः प्रकरण कोर्ट के निर्णय होने तक लंबित रखा जाना है। प्रकरण में यू.ओ.नोट दि. 14.5.2020 एवं 16.6.20 14.8.20, 7.12.20 13.01.21, 12.03.21 के द्वारा कॉमिक-111 शाखा से कोर्ट केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी है। विभागीय आदेश दि. 14.7.2021 के द्वारा अतिनिदेशक(कर्मिक-111) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 31.8.21 के द्वारा जांच अधिकारी परिवर्तित कर कोषाधिकारी सीकर को बनाया गया है। परिवहन विभाग को पत्र दि.27.10.21,17.11.21, 06.01.22, 21.02.22, 01.04.22 एवं डी.ओ. लेटर दि. 26.05.22 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव चाहे गये है। परिवहन विभाग के पत्र कमंक 12667 दिनांक 08.06.2022 एवं 725 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा उपस्थापन अधिकारी श्रीमती भारती नेथानी, जिला परिवहन अधिकारी, सीकर का नाम प्रस्तावित किया गया है। विभागीय आदेश कमंक 208-213 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा श्रीमती भारती नेथानी, जिला परिवहन अधिकारी, सीकर को उक्त प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट अपेक्षित विभागीय पत्र कमंक 577-78 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन हेतु लिखा गया। विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2023 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया।
16	1235	श्री रसायन गुप्ता स.ले.अ. मेड-1 सेवानिवृत्त 01.07.1957	AAO-I	RT	01-07-1957	एफ.1(सी) 1235 / जांच / 1033-37 दि. 20.5.08	1. श्रीमती पुष्पाशनी शर्मा की मेड्यूटी का बैंक अपने खाते में जमा कराना(पवान) 2 स्वेच्छा से अनुपस्थित	yes	कोषाधिकारी, कांती 27.7.10	YES	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त। आरोपी से पत्र दि. 18.5.17, 4.8.17, 4.10.17 द्वारा जांच रिपोर्ट पर अग्रवावेदन चाहा गया है। जो अभी तक अप्राप्त है। साथ ही पत्र दि.4.10.17, 19.4.18, 18.12.18, 9.5.19, 12.7.19 द्वारा कोषाधिकारी, भून्दी से श्री गुप्ता के विरुद्ध लंबित फौजदारी प्रकरण की वर्तमान स्थिति/अवतन स्थिति की जानकारी चाही गयी है। विभागीय पत्र दि. 24.05.22 के द्वारा प्रकरण में दण्डादेश जारी करने हेतु आर.पी.एस.सी. को परामर्श प्राप्त करने एवं महामहिम राज्यपाल से अनुमोदित कर आदेश जारी करने हेतु पत्र जारी किया गया। विभागीय पत्र कमंक 370 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राप्त बैंक लिस्ट पर टिप्पणी चाही गई। विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2023 एवं 27.7.2023, 20.12.2023 एवं 09.01.2024 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र बैंकलिस्टनुसार जांच कर जांच रिपोर्ट भंगवाने हेतु लिखा गया।	
16	1294	श्री इन्दलाल सांखटा क.ले. जन्मतिथि 01.09.69	Jr.Acctt	01-09-69		एफ.1(सी) 1294 / जांच / 129-13 दि.15.5.09	कोषाधिकारी पाली के व्यवसाय बैंक खाते में अनधिकृत रूप से राशि रु. 2000 जमा करने के आरोप से आरोपित है	YES	कोषाधिकारी(राहुरे) जालपुर दि.आ. कमंक 503-507 दि.0 23.7.2009	NO	जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। वचाव सहायक के संबंध में पत्र दि. वि.पत्र कमंक 1233-34 दिनांक 29.11.10 के द्वारा दि. 10.12.10 तक प्रस्ताव मांगे गये। विभागीय पत्र दि. 16.3.11 के द्वारा जांच अधिकारी को दि. 30.4.11 तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। अ.शा. पत्र दि. 29.2.12 द्वारा जांच अधिकारी को आविलंब जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रकरण में अ.शा.पत्र दि. 21.02.2022, 22.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। विभागीय पत्र कमंक 97 दिनांक 11.05.2022, 22.3.2023, 09.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदन अपेक्षित है।	

16	1259	श्री सुरेशचन्द्र माण्डुर स.ले.अ. ग्रेड-11 सेवानिवृत्त 10.10.55	AAO-II	RT 10-10-55	एफ.1(सी) /जांच/ 1259 / 724-27 दि.15.9.09	जिला कलक्टर जालौर के कार्यालय में सहायता अनुभाग में गोशाला धोला को अनियमित स्वीकृति जारी करने व भुगतान करने के आरोप में।	NO	कोषाधिकारी, जालौर, 23.4.19	पत्र दि. 3.12.20 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की	NO		आरोपी से अभी उत्तर अपेक्षित है। न्यायालय में लखित प्रकरण में चार्ज नहीं सुनाये जाने के कारण कार्यवाही लथित रही गयी है। पत्र दि. 20.9.10 के द्वारा श्री माण्डुर को प्रकरण की स्थिति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया। प्रकरण में दि. 21.3.12 को प्रकरण पत्र जारी किया गया। पुनः पत्र दि. 9.7.12, 28.9.12 तथा 11.2.13 के द्वारा स्मरण कराया गया। पत्र दि. 25.5.13, 3.7.13 एवं 10.10.13 के द्वारा एस.पी. जालौर से स्मरण कराया गया। पत्र दि. 25.5.13, 3.7.13 एवं 10.10.13 के द्वारा एस.पी. जालौर से स्मरण कराया गया। पत्र दि. 25.5.13, 3.7.13 एवं 10.10.13 के द्वारा स्मरण कराया गया। पत्र दि. 7.7.15 एवं 25.5.16, 1.8.16, 15.5.17, 3.8.17, 20.4.18, 23.4.19, 11.8.20, 3.12.20, 6.4.21, 23.11.21, 21.02.22 के द्वारा श्री माण्डुर के विरुद्ध चार्ज स. 363/07 में सहायक निदेशक, अभियोजन, जालौर से प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु लिखा गया। आदेश दि. 18.4.19 के द्वारा कोषाधिकारी, जालौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 3.12.20 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की जागर पत्रांकत प्रति एवं पत्र दि. 2.03.21, 19.7.2021, 29.10.21, 21.02.22, 04.05.22, 22.03.2023 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट हेतु स्मरण कराया गया।
16	1501	श्री लक्ष्मी नारायण खण्डेलवाल स.ले.अ. ग्रेड-1 मिलित, श्री मानसिंह चौहान, स.ले.अ. ग्रेड-1, से.नि. व अन्य संयुक्त जांच	AAO-I	Joint Inq	एफ.1(सी) 1501 जांच/ 461-70 दि. 24.08.12	सामाजिक पेंशन में मिलीभगत कर राजकोष को हानि पहुंचाने के आरोप से आरोपित ।	YES	कोषाधिकारी कोटा 3.8.09 परिवर्तित आदेश दि. 24.02.14	सहायक कलक्टर कोटा	NO		आरोपी के अभ्यावेदन पर पत्र दि. 28.6.10 द्वारा कोषाधिकारी, कोटा से सूचना मांगी गई। विभागीय पत्रांक 902 दि. 23.8.10 एवं 1295 दि. 13.10.10 एवं दि. 10.11.10 द्वारा कलक्टर, कोटा से संयुक्त जांच के संबंध में विधिक परीक्षण हेतु लिखा गया। पंजीकृत पत्र दि. 16.3.11 के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने हेतु वांछित सूचना चाही गयी है। पुनः अशा पत्र दि. 22.6.11 द्वारा जांच अधिकारी को दि. 31.8.11 तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रकरण में कलक्टर कोटा से संयुक्त जांच करने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण एकल पत्रावली पर निदेशक महादय को अधिवृत्त करने हेतु राज्य सरकार को भेजा गया है। प्रकरण में संयुक्त जांच किये जाने के संबंध में परिवर्तित/परिवर्धित आरोप पत्र जारी किया गया। जांच अधिकारी को पत्र दि. 15.1.14 तथा 28.4.15, 18.5.17, 3.8.17, 24.1.18, 9.4.18, 4.7.2018, 18.12.18, 11.7.19, 31.1.20, 8.7.20, 4.12.2020 द्वारा स्मरण कराया गया। आदेश दि. 11.01.21 के द्वारा नवीन उपस्थापक अधिकारी की नियुक्ति की गयी। पत्र दि. 18.3.21, 9.4.21, 19.7.21, 8.9.21, 23.11.21, 26.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को स्मरण पत्र जारी अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित। विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2023 के द्वारा जांच प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा गया ।
16	1515	श्री इन्द्रलाल सोराठा क.ले. जन्मतिथि 01.09.69	Jr.Accnt	01-09-69	एफ.1(सी) 1515 /जांच/ 1295-1297 दि. 22.12	आदेशों की अवहेलना, स्वेच्छा से अनुपस्थित एवं आवरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में	NO	कोषाधिकारी (पाहुर) जयपुर आदेश दि. 8.5.17 के द्वारा	विभागीय आदेश दि. 4.5.18 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया	NO		आरोपी को आपन दि.2.2.12 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आदेश दि. 8.5.17 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय आदेश दि. 4.5.18 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 3.12.2020, 02.03.21 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी को अभियोजन पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखते हुए जांच अधिकारी को जांच पूर्ण कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया है। पत्र दि. 27.7.21, 26.10.21, 29.4.22 एवं 21.9-220 दिनांक 27.06.2022 , 04.11.2022 के प्रकरण में आरोपी कार्मिक को उपस्थित होने के कम में पत्र जारी अभी जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। विभागीय पत्र कनांक 546-47 दिनांक 12.12.2022, 01.02.2023 जांच प्रकरण में उपस्थिति होने हेतु उपस्थापक अधिकारी को लिखा गया ।

16	1563	श्री मुकेश चन्द गुप्ता, क.ले. जन्मतिथि 01.05.1964	Jr.Acctt	01-05-64	एक.1(सी) 1563/ जांच 7-10 दि. 2.5.13	रु. 26,89,300/- रु. के गठन के आरोप में	NO	कोषाधिकारी, अलवर 824-28 19.12.13	विभागीय आदेश कमांक 73-80 दिनांक 16.04.2015 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी श्री पूरणचन्द जैन, सलेख कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया।	NO		आरोपी को ज्ञापन दि. 2.5.13 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर अप्राप्त है। विभागीय आदेश कमांक 824-828 दिनांक 19.1.2013 द्वारा कोषाधिकारी, अलवर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय आदेश कमांक 20174-2080 दिनांक 25.07.2014 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर में कार्यरत श्री लक्ष्मण प्रसाद, सहायक लेखाधिकारी को उपस्थापक अधिकारी बनाया गया। पारिवारिक कारणों से विभागीय आदेश कमांक 73-80 दिनांक 16.04.2015 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी श्री पूरणचन्द जैन, सलेख कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय पत्र सं. 307 दि. 20.6.17 के द्वारा जांच रिपोर्ट व पत्रावली मूल ही तैयार जांच को रिमाण्ड किया गया तथा 2 माह में जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। विभागीय पत्र दि. 6.9.17, 24.1.18, 15.4.18, 23.7.18, 18.12.18,25.3.19, 11.7.19, 26.9.19, 14.2.20, 13.7.20, 20.8.20, 1.12.20, 10.02.21, 15.7.2021, 23.11.21, 17.02.22, 28.04.22 के द्वारा जांच अधिकारी को सरण कराया गया। विभागीय पत्र दि. 23.02.21, 12.8.21 एवं 01.ओलेटर दि. 03.01.2022 एवं 20.07.22 के द्वारा संबंधित विभाग को प्रकरण से संबंधित सूचनाएं जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है। विभागीय पत्र कमांक 366-68 दिनांक 16.09.2022, 22.3.2023 के द्वारा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर को पत्र लिखा गया।
16	1617	श्री मुकेश कुमार मास्दाज, स. ले.अ.वे-11, जन्मतिथि 6.7.61 सेवानिवृत्त	AAO-II	RT 06-07-1961	एक.1(सी) 1617/ जांच/ 2129-31 दि.12.8.14	प्रतिवेधित ड्रग रखने एवं आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में। प्रकरण प्रवर्तन निदेशालय के अधीन।	YES	कोषाधिकारी, ग्रामीण, जयपुर 02.03.21		YES		आरोपी की दि. 12.8.14 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी को पत्र दि. 20.10.14 के द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु सरण कराया गया। आरोपी चार्जिक अभिरक्षा में। प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण में निर्णय के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना है। पत्र दि. 11.11.21, 17.02.22 से राजस्व आ-सूचना निदेशालय से उत्तर प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी है। विभागीय पत्र दिनांक 13.03.2023 के द्वारा चार्जिक निर्णय प्राप्त होने पर जांच अधिकारी से जांच कर जांच प्रतिवेदन की स्पष्ट रिपणी मांगाने हेतु लिखा गया। जांच अधिकारी को विभागीय पत्र दिनांक 20.07.2023 के साथ न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवाई गई। विभागीय पत्र कमांक 1521-22 दिनांक 04.03.204 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया।
16	1650	श्री लोहकरा सीमा, स.ले.अ वे.ड-11,जन्मतिथि 15.7.68	AAO-II	15-07-68	एक.1(सी) 1650/ जांच/ 168-172 दि.4.5.15	कार्य के प्रति नियम विरुद्ध एवं घोर लापरवाही के लिए आरोपित।	YES	अति.कोषाधिकारी सवाई मन्जोपुर 22.4.16		NO		आरोपी को दि. 4.5.15 के द्वारा आरोप पत्र जारी। जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। पत्र दि. 21.02.17 एवं पत्र दि. 9.2.17, 10.5.17, 4.8.17, 19.1.18, 17.4.18, 17.7.18, 18.12.18, 25.3.19, 11.7.19, 14.3.19, 9.7.19, 26.9.19, 19.2.20, 8.7.20, 3.12.20, 26.02.21, 15.7.2021, 8.10.21, 16.11.21, 04.02.22, 29.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु सरण पत्र दिया गया। अभी जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है विभागीय पत्र कमांक 341 दिनांक 25.08.2022, 11.22-23 दि. 25.08.2023 के द्वारा सरण पत्र जारी किया गया।
16	1673	श्री लोहकरा सीमा, स.ले.अ वे.ड-11,जन्मतिथि 15.7.68	AAO-II	15-07-68	एक.1(सी) 1673/ जांच/ 1055-59 दि.15.2.16	पूर्णतया अनुत्तरदायित्व व लापरवाही से कार्य करते हुए राजकीय धनराशि के अपव्यय एवं दुरुपयोग सेकने के दायित्व से विमुख रहते हुए कार्य किया जिसके लिए वे आरोपित है।	YES	अति.कोषाधिकारी स. मन्जोपुर 27.4.16		NO		आरोपी को दि. 15.2.16 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर जांच अधिकारी नियुक्त। पत्र दि. 9.2.17, 23.5.17, 4.8.17, 22.1.18, 5.4.18, 23.7.18, 18.12.18, 14.3.19, 9.7.19, 25.9.19, 17.2.20, 8.7.20, 23.11.21, 27.1.21, 19.03.2021, 15.7.21, 8.10.21, 23.11.21, 04.02.22, 29.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच रिपोर्ट हेतु सरण पत्र दिया गया। अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

16	1677	श्री रत्न सिंह मीणा स.ले.अ मंड-1 नम्बर्सि 6.7.69	AAO-1	06-07-69	एफ.1(सी) 1677 / जांच / 1156-59 दि.21.3.16	विना ऑडिटर के बिल पारित किये गये है जिसके कारण श्री रत्नसिंह मीणा को जी.पी. एफ. राशि के गचन करने का मौका मिला जिसके लिए श्री रत्नसिंह मीणा तत्कालीन उपकोषाधिकारी वाली आरोपित है	YES	कोषाधिकारी,भरतपुर 31.01.17		YES	आरोपी को दि. 21.3.16 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त। अभी जांच प्रतिवेदन अपेक्षित। जांच रिपोर्ट प्राप्त। आरोपी से अपराधन प्राप्त होने पर यू.ओ.नोट दि. 23.4.21, 14.7.21, 12.10.21, 24.11. 21, 17.02.22, 31.03.22, 29.4.22 के द्वारा कार्रकि-1 शाखा से प्रकरण में दर्ज एक.आई. आर. की अवलन स्थिति की जानकारी चाही गयी है। आरोपित से प्रकरण में दर्ज एक. आई.आर की प्रतियां प्राप्त होने पर पत्र दि. 16.05.22 के द्वारा उक्त संख में पुलिस थाना वाडी से वर्तमान स्थिति/अवलन स्थिति की जानकारी चाही गयी है।
16	1680	श्री सांवराम मीणा, कनिष्ठ लेखकार, जन्मतिथि 01.2.69	Jr.Acctt	01-02-69	एफ.1(सी) 1680 / जांच / 11326-1328 दि.18.5.2016	कर्तव्यों के निर्वाहन में गम्भीर लापरवाही वरतने के आरोप से आरोपित है	NO	कोषाधिकारी प्राणीण जयपुर 16.7.2018	विमगीय आदेश क्रमांक 408-412 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी श्री उत्तरावराम मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक विभा अधिकारी कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बस्ती जिला जयपुर	NO	आरोपी को दि. 18.5.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी। विमगीय आदेश दि. 16.7.18 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विमगीय आदेश क्रमांक 408-412 दिनांक 13.08.2019 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी श्री जलनारायण मीणा, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यवाहक मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बस्ती जिला जयपुर को नियुक्त किया गया। पत्र दि. 18.12.18, 14.3.19, 11.7.19, 13.2.20, 8.7.20, 1.12.2020, 25.02.21, 6.4.21, 15.7.21, 30.7.21, 8.10.21, 14.12.21, 27.01.22, 22.02.22, 29.4.22, 26.07.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन निजवाने हेतु संपरण पत्र जारी किया गया। विमगीय पत्र क्रमांक 328-30 दिनांक 25.08.2022 के द्वारा संपरण पत्र जारी किया गया। प्रकरण में वर्तमान उपस्थापक अधिकारी के स्थानान्तरण होने की वजह से कार्यालय ससुरा निदेशक, स्वतंत्र शिक्षा जयपुर संपण, जयपुर को प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव निजवाना हेतु विमगीय पत्र क्रमांक 391-93 दिनांक 28. 09.2022 लिखा गया। अभी जांच रिपोर्ट अप्राप्त। विमगीय पत्र दिनांक 10.03.2023, 22. 12.2023 एवं 07.02.2024 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव निजवाने हेतु लिखा गया।
16	1681	श्री अवरराम मीणा स.ले.अ. मंड-1, जन्मतिथि 1.7.57 सेवानिवृत्त	AAO-1	RT 01-7-57	एफ.1(सी) 1681 / जांच / 274-276 दि.8.6.2017	विमगीय प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर भुगतान हेतु बिल पारित किये जाने के लिए श्री मीणा आरोपित है(सीसीए नियम 17 से सीसीए नियम 16 में परिवर्तित)	YES	कोषाधिकारी, कयली 11.10. 17	YES	आरोपी को आपन दि. 8.6.2017 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। प्रकरण में आदेश दि.11.10.11 द्वारा कोषाधिकारी, कयली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा आरोपी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत पत्र दि. 8.4.21, 15.7.21 के द्वारा प्रकरण में दर्ज मुकदमा सं. 308/14 की वर्तमान स्थिति/अवलन स्थिति की जानकारी कोषाधिकारी-1 शाखा से चाही गई है। जो अभी अप्राप्त है। आरोपी की व्यक्तिगत सुनवाई दि. 24.9.21 को व्यक्तिगत सुनवाई की गयी तथा पत्र दि. 26.10.21, 24.11.21, 2.02.22, 28.02.22, 28.04.22 के द्वारा कार्रकि-1 शाखा से अपराधिक प्रकरण की वर्तमान स्थिति/अवलन स्थिति की जानकारी चाही गयी है। विमगीय यूजोनोट क्रमांक 647 दिनांक 12.01.2023 , 21.12. 2023 के द्वारा मुकदमे संख्या 308/2014 की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत करने हेतु लिखा गया।	
16	1683/ 963	श्री नवलकिशोर, शर्मा, क.ले. जन्मतिथि 01.7.71	Jr.Acctt	01-7-71	एफ.1(सी) 1683 / जांच / 1485-88 दि.18.7.2016	राज्यादेशों की अवहेलना तथा संख्या से अनुपस्थित रहने के आरोप में	YES	कोषाधिकारी (राहुर) जयपुर 21.11.19	NO	आरोपी को आपन दि. 18.7.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर आरोपी की दि. 31.10.19 को व्यक्तिगत सुनवाई नियत की गयी परन्तु ये उपस्थित नहीं हुए। विमगीय आदेश दि. 21.11.19 के द्वारा प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त। विमगीय आदेश दि. 5.2.21 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया एवं पत्र दि. 21.7.21, 8.10.21, 15.02.22 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन शीघ्र निजवाने हेतु आदेश की प्रति प्रेषित की गयी। पत्र दि. 29.4.22 के द्वारा जांच अधिकारी को नियमानुसार आरोपित से वचाव सहायक के प्रस्ताव प्राप्त कर निजवाने हेतु लिखा गया। कर्हात नम्बर 963 में श्री नवल किशोर द्वारा अभील की गई है विमगीय पत्र क्रमांक 263 दिनांक 12.07.22 के द्वारा बिल राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया। विमगीय यूजोनोट 443 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा बिल विभाग द्वारा खातिज प्रति संलग्न कर निजवाई गई। विमगीय आदेश क्रमांक 646 दिनांक 12.01.2023 , 25.08.2023 , 10.01.2024 के द्वारा जांच अधिकार को जांच प्रतिवेदन निजवाने हेतु लिखा गया।	

16	1685	श्री सुभाषचन्द्र मोल्लू, सले अ. मोड-1 जन्मतिथि 1.12 57सेवानिवृत्त	AAO-I	RT 01-12-1957	एफ.1(सी) 1685 / जांच / 1469-738 दि.15.7.2016	ए.सी.बी. प्रकरण में फाइलही के आरोप में	NO	कोषाधिकारी, चूल् 24.4.17	विभागीय आदेश कमंक 173-177 दि. 18.05.2017 के द्वारा श्री लीलाधर पुलिस निरीक्षक, ए.सी.बी चूल् को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त । विभागीय आदेश कमंक 447-452 दिनांक 7.09 2017	NO		अतिरिक्त, कार्मिक-1 के यूओनाट कमंक 134 दिनांक 11.05.2016 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र , सलेख-1 के खिलाई सीसीए 16 में आरोप पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव दिये गये । विभागीय जापन कमंक 1468-73 दि. 15.7.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये । आरोपी से उत्तर प्राप्त नहीं होने पर विभागीय पत्र कमंक 1698 दिनांक 01.09.2016 , 02.11.2016 लिखा गया । विभागीय आदेश कमंक 35-38 दि. 24.4.2017 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश कमंक 173-177 दि. 18.05.2017 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय आदेश कमंक 447-452 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी में परिवर्तन कर पुलिस अधीक्षक, भूटवार निरीक्षक ब्यूरो चौकी चूल् को उपस्थापक अधिकारी बनाया गया । चूल् के उपस्थापक अधिकारी-1 के यूओनाट कमंक 1081 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक, कार्मिक-1 के यूओनाट कमंक 670 दिनांक 24.01.2023 , 13.03. 2023 जांच प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा गया । उपखंडीक, एसीबी जयपुर के पत्र दिनांक 01.08.2023 के द्वारा जांच की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाने हेतु लिखने पर विभागीय पत्र दिनांक 17.08.23 जांच अधिकारी को लिखा गया ।
16	1686	श्री स्वतंत्र सिंह, भीणा, सलेअ मोड-108.07.1969	AAO-I	06-07-69	एफ.1(सी) 1686 / जांच / 1453-57 दि.11.7.16	राज्य कार्य में लापरवाही बरतने, राजकोष की छानि पट्टवाने तथा पद के दुरुपयोग के लिए आरोपित।	YES	कोषाधिकारी, भरतपुर 25.5. 17		YES		आरोपी को दि. 11.7.2016 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी से उत्तर प्राप्त होने पर आदेश दि. 25.5.17 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त। प्रकरण में आरोपित के निलवन एवं एसीबी से दर्ज मामले की जानकारी यूओनाट दि. 23.02.21, एवं 19.03.2021 के द्वारा कार्मिक-1 शाखा से वाली गयी है। पत्र दि. 19.8. 21, 23.11.21, 14.02.22एवं अशापन दि. 01.04.22 के द्वारा कोषाधिकारी, भरतपुर से प्रकरण से संबंधित तीन विन्डुओं पर टिप्पणी वाली गयी है। कोषाधिकारी, भरतपुर में अपने पत्र कमंक 1194 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा तीन विन्डुओं के संबंध में विभागीय पत्र कमंक 225 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा (सलन जांच रिपोर्ट) प्रेषित करते हुये पत्र लिखा गया । विभागीय पत्र दिनांक 10.03.2023 , 25.08.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया ।
16	1734	श्री जितेन्द्र वाजपेयी,सलेअ. मोड-11 25.5.70	AAO-II	25-05-70	एफ.1(सी) 1734 / जांच / 768-72 दि.20.3.20	पर्यवेक्षणीय लापरवाही बरतने के कारण राजकोष को रु. 146857925/- का गबन कारित हुआ व सरकार को वित्तीय छानि हुई जिसके लिए आरोपित है।	NO	कोषाधिकारी, सौकर 9.4. 21 से परिवर्तित		NO		आरोपी को जापन दि. 20.3.20 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। अभी उत्तर अवहित है। विभागीय आदेश दि.9.4.21 के द्वारा कोषाधिकारी, हनुमानगढ के स्थान पर कोषाधिकारी सौकर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 16.3.21 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया जाकर आदेश की पुष्टिकृत प्रति एवं पत्र दि. 12.7.21, 16.8.21 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा गया। आदेश दि. 23.7.21, 24.11.21 के द्वारा प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 27.12.21 के पुष्टिकृत प्रति एवं पत्र दि. 15.02.22, 22.4.22, 11. 05.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। विभागीय आदेश कमंक 336 दिनांक 25.08.22 एवं 643 दिनांक 11.01.2023, 19.02. 2024 के द्वारा स्मरण पत्र जारी किया गया ।

16	1741	श्री इन्द्रलाल सांखला, क.ते. 01.09.1989	Jr. Acctt	01-09-69	एफ.1(सी) 1741 / जांच / 272-276 दि.12.01.21	कामालय का रिकॉर्ड अपने व्यक्तिगत नाम हेतु पेशान के पर पर देना न केवल लोक सेवक के आचरण के विरोध है बल्कि आपकी भ्रष्ट छवि को दर्शाता है जिसके लिए आरोपित।	NO	कोषाधिकारी, उदयपुर शहर कमांक 543-547 दिनांक 06.04.2021	श्री लोकेश कुमार भैरा, सहायक निदेशक, सी.ओ. निदेशक, पेशन एवं पेशन विभाग, श्री कामालय उदयपुर को नि.आदेश क्रमांक 611-616 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा उपर्युक्त नियुक्त भिजा गया। खरीदोन आदेश 1150-1165 दि. 4.2.22 श्री परसराम कोराय सावहिदे पेशन एवं पेशन उदयपुर	NO		आरोपी को ज्ञापन दि. 12.01.2021 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। अभी उत्तर अभीहित है। समरण पत्र दि. 15.02.21 के द्वारा आरोपी को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। आरोपी से उत्तर प्राप्त नहीं होने पर आदेश दि. 6.4.2021 के द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। आदेश दि. 04.02.22 के द्वारा उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति की जाकर जांच अधिकारी को पूर्णकित प्रति एवं पत्र दि. 26.4.2022 के द्वारा जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। आरोपी ने अपने पत्र कमांक 700 दिनांक 26.8.2022 के द्वारा जांच प्रतिवेदन भिजवाया गया। अतिरिक्त निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण शिभाय क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर के पत्र कमांक 3087 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा प्रकरण में विभागीय जांच कार्यवाही करने हेतु विभागीय पत्र कमांक 310-311 दिनांक 04.08.2022 एवं 19.10.2022 पत्र लिखा गया। विभागीय पत्र कमांक 458 दिनांक 09.11.2022, 01.02.2023, 17.03.2023 के द्वारा अपना अभ्यावेदन हेतु लिखा गया। आरोपी कार्रिक को जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 22.06.2023, 19.02.2024 लिखा गया।
16	1742	श्री युधिष्ठिर कुमार, क.ते. 13.04.1987	Jr. Acctt	13-04-87	एफ.1(सी) 1742 / जांच / 289-292 दि.19.1.21	सहायमान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा पारिषद के अनुसार कार्यवाही न कर अनियमित कार्य करने के आरोप से आरोपित है।	YES	कोषाधिकारी, ग्रामीण, जंघापुर दि. 28.10.21		NO		आरोपी को ज्ञापन दि. 19.01.2021 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। उत्तर प्राप्त होने पर संवेधित विभाग से विभागीय पत्र दि. 11.02.2021 के द्वारा उत्तर पर दिप्ती वाही गयी है। वांछित दिप्ती प्राप्त नहं होने पर प्रकरण में पत्र दि. 29.10.21 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 7.4.22 के द्वारा प्रकरण में उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति की गयी तथा पूर्णकित प्रति एवं पत्र दि. 26.04.22 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। विभागीय पत्र कमांक 335 दिनांक 25.08.2022 एवं 642 दिनांक 11.01.2023, 19.02.2024 के द्वारा समरण पत्र जारी किया गया।
16	1745	श्री रविन्द्र कुमार बैरवा, स.ते. अ.क्र-1, 28.11.68	AAO-I	28-11-68	एफ.1(सी) 1745 / जांच / 867-870 दि.1.10.21	गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतने एवं अनियमित भुगतान किये जाने के आरोप में	YES	कोषाधिकारी, शहर, जयपुर 29.10.2021	कोषाधिकारी शहर (जांच अधिकारी) द्वारा श्री महेंद्र कुमार डीमावाल, सलेअ-1 को उपर्युक्त अधिकारी बनाया गया।	NO		आरोपी को ज्ञापन दि. 01.10.2021 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी कार्रिक का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर आदेश दि. 29.10.2021 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। आदेश दि. 26.05.2022 के द्वारा उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति की जाकर आदेश की पूर्णकित प्रति जांच अधिकारी को शीघ्र जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित की गयी। विभागीय पत्र कमांक 578 दिनांक 21.11.2022, 707 दि. 01.02.2023 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन हेतु लिखा गया। विभागीय आदेश कमांक 1176-78 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा इन्हें व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया। विभागीय पत्र कमांक 1279 दिनांक 20.12.2023, 19.2.2024 के द्वारा जांच अधिकारी को रिमाण्ड किया गया।

16	1757	श्री सुभाषचन्द्र महावर,क.ले. 15.08.89	Jr.Acct	15-08-89	एक.1(सी) 1757 / जांच/ 129-131 दि.26.05.22	अधिकारियों/कर्मचारियों को दूरगाम पर संपर्क कर धमकी देने एवं घूस देने के आरोप में।	YES	विभागीय आदेश क्रमांक 638-641 दिनांक 11.01. 2023 के द्वारा कोषाधिकारी अलवर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।	विभागीय आदेश क्रमांक 784-790 दिनांक 10.03. 2023 के द्वारा श्री अशोक उपाध्याय को स्थान पर श्री अशोक कुमार गोयल, सलेज-1 कार्यालय उपकोषालय पेशन अलवर को उपस्थापक अधिकारी बनाया गया	-	-	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 28.05.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर अवैधित है। विभागीय पत्र क्रमांक 274 दिनांक 15.07.2022 के द्वारा आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन का प्रतिउत्तर देने हेतु लिखा गया। पुलिस अधीनक, अलवर ने अवगत कराया कि श्री महावर ,कोलेखाकार 15 दिवस की अवधि के अवकाश पर है। पुलिस अधीनक, अलवर को विभागीय पत्र क्रमांक 290 दिनांक 25.07.2022 लिखा गया । विभागीय पत्र क्रमांक 519-20 दिनांक 22.11.2022 के द्वारा स्वरण पत्र जारी किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 575-76 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा आरोपी कार्मिक को लिखित प्रतिउत्तर देने हेतु लिखा गया। श्री महावर,कोलेखाकार द्वारा दिनांक 28.12.2022 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने परविभागीय आदेश क्रमांक 638-641 दिनांक 11.01.2023 के द्वारा कोषाधिकारी अलवर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय आदेश क्रमांक 687-691 दिनांक 30.01.2023 के द्वारा प्रकरण में श्री अशोक उपाध्याय , सलेज-1 कार्यालय राज.राज्य अभिलेखागार कला एवं संस्कृति विभाग, अलवर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय यूओनोट क्रमांक 757 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी परिवर्तन हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये। विभागीय आदेश क्रमांक 784-790 दिनांक 10.03. 2023 के द्वारा श्री अशोक उपाध्याय के स्थान पर श्री अशोक कुमार गोयल, सलेज-1 कार्यालय उपकोषालय पेशन अलवर को उपस्थापक अधिकारी बनाया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 853 दिनांक 05.04.2023 , 20.02.2024 के द्वारा जांच अधिकारी को जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया। विभागीय आदेश क्रमांक 1203-1208 दिनांक 06.10.2023 के द्वारा श्री दिवलोच सिंह मनोया, सेवानिवृत्त लेखाधिकारी को प्रकरण में बराब सहायक नियुक्त किया गया।
16	1761	वैलन कुमार सेठी, .क.ले. 02. 07.1987	Jr.Acct	02-07-87	एक.1(सी) 1761 / जांच/ 137-140दि. 30.05.2022	विभागीय स्थानान्तरण आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में।	YES	कोषाधिकारी(शहर) जयपुर वि.अ. क्रमांक 191-194 दिनांक 21.06.2022	वर्गीय आदेश क्रमांक 423-427 दि. 19.10.2022 के द्वारा श्री मुकेश कुमार बैरवा, सलेज-1 कार्यालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , जयपुर को उपस्थापक अधिकारी बनाया गया।	-	-	-	आरोपी को ज्ञापन दि. 30.05.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का उत्तर इनके पत्र दिनांक 16.06.2022 को निदेशालय, में प्राप्त होने पर विभागीय आदेश क्रमांक 191-194 दिनांक 21.06.2022 के द्वारा कोषाधिकारी (शहर), जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय यूओनोट क्रमांक 344 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-गा को उपस्थापक अधिकारी नियुक्ति करने हेतु लिखा गया। विभागीय आदेश क्रमांक 423-427 दि. 19.10.2022 के द्वारा श्री मुकेश कुमार बैरवा, सलेज-1 कार्यालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग , जयपुर को उपस्थापक अधिकारी बनाया गया। विभागीय आदेश क्रमांक 1167-69 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा इन्हें व्यक्तिगत सुनवाई हेतु बुलाया गया। विभागीय पत्र दिनांक 06.11.2023 , 20.02.2024 को पुनः जांच अधिकारी को रिमाण्ड किया गया।

16	1765	नन्दकिशोर शेरमा,क.रे. 9887702897	Jr. Acctt		एफ.1(सी) 1765 / जांच / 154-157दि. 06.06.2022	विभागीय स्थानान्तरण आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में।	YES	कोषाधिकारी(शहर) जयपुर वि.आ. क्रमांक 244-248 दिनांक 04.07.2022	विभागीय आदेश क्रमांक 470-473 दि. 14.11.2022 के द्वारा श्री मनोहर लाल मंडन, सलेख-1 कार्यालय कोषाधिकारी, नगौर को	-			अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11) के यूओनोट क्रमांक 359 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा श्री नन्दकिशोर वैष्णव ,अवहेलनाकार के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी को ज्ञापन क्रमांक 154-157 दि. 06.06.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 27.06.2022 को प्रस्तुत दिया गया । विभागीय आदेश क्रमांक 244-248 दिनांक 04.07.2022 के द्वारा कोषाधिकारी (शहर), जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय यूओनोट क्रमांक 420 दिनांक 19.10.2022 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव मंजवरी मये । विभागीय आदेश क्रमांक 470-473 दि. 14.11.2022 के द्वारा श्री मनोहर लाल मंडन, सलेख-1 कार्यालय कोषाधिकारी, नगौर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।। विभागीय पत्र दिनांक 19.12.2023 एवं 21.02.2024 के द्वारा जांच रिमाण्ड का पत्र लिखा गया ।
16	1772	मिन्ताराम उदागिया, सलेख-1	AAO-I	08-06-65	एफ.1(सी) 1772 / जांच / 275-278दि. 19.07.2022	विना अवकाश स्वीकृत करायें बार-बार कार्यालय से अनुपस्थित एवं मोबाइल भी सिच ऑफ इनके विरुद्ध पुलिस थाना सदरपुर जेष्ठपुर पश्चिम में प्रकरण संख्या 221 दिनांक 8.10.21 द्वारा 420,406,467,468 एवं 471 मादस में प्रकरण दर्ज ।	YES	विभागीय आदेश क्रमांक 559-561 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा कोषाधिकारी शहर जेष्ठपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।	विभागीय आदेश क्रमांक 751-755 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा प्रकरण में श्री देवीकिशन यदी, अति.कोषाधिकारी, ग्रामीण जयपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।				अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11) के यूओनोट क्रमांक 781 दिनांक 14.07.2022 के द्वारा श्री मिन्ताराम उदागियां , सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 275-278 दि. 19.07.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। श्री उदागियां,सलेख-1 ने दिनांक 17.08.2022 के द्वारा अपना प्रतिजाल प्रस्तुत किया गया फलस्वरूप निर्देशानुसार (कोषाधिकारी ग्रामीण जेष्ठपुर) को प्रतिजाल पर अपनी टिप्पणी से अवगत कराने हेतु विभागीय पत्र क्रमांक 337 दिनांक 25.08.2022 एवं स्रण पत्र क्रमांक 396 दिनांक 07.10.2022 लिखा गया । विभागीय आदेश क्रमांक 559-561 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा कोषाधिकारी शहर जेष्ठपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय पत्र क्रमांक 715-716 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा जांच अधिकारी को प्रकरण में उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव मंजो गये । विभागीय आदेश क्रमांक 751-755 दिनांक 23.02.2023 के द्वारा प्रकरण में श्री देवीकिशन यदी, अति. कोषाधिकारी, ग्रामीण जयपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय पत्र क्रमांक 782 दिनांक 09.03.2023 26.9.23 के द्वारा जांच अधिकारी को शीघ्र जांच प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया ।
16	1775	मिन्ताराम शार, सलेख-1	AAO-I	19-09-79	एफ.1(सी) 1775 / जांच / 474-477दि. 14.11.2022	1 आरोप संख्या 01 में जाली 11 वेतन एरियर मिल राशि 26579498/-रु. को आवंटित राजकोष आई डी से पारित कराना 2 आरोप संख्या 02 में पारित बिलों की सिविल राजकोष पर नही देखा पाना जो गवन की श्रेणी में आता है । 3 राजकोष के पासवर्ड का गलत उपयोग करना		विभागीय आदेश क्रमांक 610-614 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा कोषाधिकार शहर उदयपुर को जांच अधिकारी बनाया गया ।	विभागीय आदेश क्रमांक 943-950 दिनांक 14.06.2023 के द्वारा प्रकरण में श्री गंगाराम दलहै, सलेख-1 कोषालय, डूंगरपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।				अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट क्रमांक 1761 दिनांक 09.11.2022 के द्वारा श्री मिन्ताराम शार , सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 474-477 दि. 14.11.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय आदेश क्रमांक 610-614 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा कोषाधिकार शहर उदयपुर को जांच अधिकारी बनाया गया । विभागीय पत्र क्रमांक 717-718 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा जांच अधिकारी को उपस्थापक एवं वचाव सहायक हेतु लिखा गया । विभागीय आदेश क्रमांक 775-81 दिनांक 09.03.2023 के द्वारा प्रकरण में श्री गोपाल कृष्ण मोदी, लेखाधिकारी कार्यालय स्थानीय निधि अकेक्षण विभाग उदयपुर को वचाव सहायक नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश क्रमांक 2952-59 दिनांक 24.03.2023 के द्वारा निवृत्तन से दहलत किया गया । विभागीय आदेश क्रमांक 943-950 दिनांक 14.06.2023 के द्वारा प्रकरण में श्री गंगाराम दलहै, सलेख-1 कोषालय, डूंगरपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।

16	1776	मुकेश कुमार यादव	AAO-I	11-10-85	एफ.1(सी) 1776 / जांच / अवहेलना करने के आरोप में। 676-678दि. 25.01.2023	विभागीय स्थानान्तरण आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप में।	विभागीय आदेश क्रमांक 744-48 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा जांच अधिकारी कोषाधिकारी शहर जयपुर को नियुक्त किया गया ।	835-841 दिनांक 28.03.2023 के द्वारा श्री रूपचन्द कुशर , सलेज-1 कार्यालय कोषाधिकारी शहर जयपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।			अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-ग/ग) के यूओनोट क्रमांक 08 दिनांक 03.01.2023 के द्वारा श्री मुकेश कुमार यादव , सलेज-ग के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 676-678 दि. 25.01.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय आदेश क्रमांक 744-48 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा जांच अधिकारी कोषाधिकारी शहर जयपुर को नियुक्त किया गया । जॉब अधिकारी के पत्र दिनांक 22.02.23 के प्रतिउत्तर में विभागीय पत्र क्रमांक 771-72 दिनांक 08.03.2023 लिखा गया । विभागीय आदेश क्रमांक 835-841 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा श्री रूपचन्द कुशर , सलेज-1 कार्यालय कोषाधिकारी शहर जयपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश क्रमांक 842-44 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा दिनांक 18.04.2023 को 4.00बजे निदेशक कोष एवं लेखा राज. जयपुर के कक्ष में व्यक्तिगत सूचनाई हेतु निर्देशित किया गया ।
16	1777	वेदन धामाई , कनिष्ठ लेखाकार	Jr.Acctt	01-11-83	एफ.1(सी) 1777 / जांच / 555-557 दि. 13.12.2022	1 विभागीय अवेक्षण जांच दल कैम्प जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर में जांच दल प्रमारी श्री सुखदेव वर्मा , सलेज-ग के साथ अनर व्यवहार करना ऑडिट कार्य सम्पादित नहीं करना , कार्य बिना किसी निर्देशों के दीव में छोड़कर रातसा कार्यालय में उपस्थित होना। 2 अवेक्षण जांच दल कैम्प कारौली एवं भरतपुर के दौरान देरी से पहुंचने सलेज-1 से दुर्लभ्यवहार करना अनर व्यवहार करना	विभागीय आदेश क्रमांक 615-618 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा कोषाधिकार शहर जयपुर को जांच अधिकारी बनाया गया ।	विभागीय आदेश क्रमांक 791-797 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा श्री छोट्टराम स्वामी ,सलेज-1 कार्यालय कोषाधिकार शहर जयपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।			अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-ग) के यूओनोट क्रमांक 1485 दिनांक 02.09.2022 के द्वारा श्री वेदन धामाई ,कलेखाकार के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 555-557 दि. 13.12.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय आदेश क्रमांक 615-618 दिनांक 06.01.2023 के द्वारा कोषाधिकार शहर जयपुर को जांच अधिकारी बनाया गया । जयपुर को जांच अधिकारी बनाया गया । विभागीय यूओनोट क्रमांक 721 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा अतिनिदेशक कार्मिक-1 को उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव मंजूर गये । विभागीय आदेश क्रमांक 791-797 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा श्री छोट्टराम स्वामी ,सलेज-1 कार्यालय कोषालय शहर जयपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।
16	1779	राजेंद्र कुमार गोरेटा	AAO-I	01-01-68	एफ.1(सी) 1779 / जांच / 591-95 दि. 27.12.2022	लोकउपपन्न नियमों, बिना निविदा आमंत्रित किये एवं बिना आयकर कटौती के स्वच्छ भार मिशन ग्रामीण योजना पंचायत समिति, झोटवाड़ा जिले के भुगतान बिलों को पारित किया गया ।					अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-ग) के यूओनोट क्रमांक 2035 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा श्रीराजेंद्र कुमार गोरेटा सलेज-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 591-95 दि. 27.12.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। श्री गोरेटा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.2023 प्रस्तुत करने पर विभागीय पत्र क्रमांक 696-697 दिनांक 01.02.2023 जिला परिषद, जयपुर को लिखा गया । विभागीय पत्र क्रमांक 700-701 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा एवं 749-50 दिनांक 23.02.2023 , 11.08.23 के द्वारा आरोपी कार्मिक से प्रतिउत्तर छात्रा गया ।

16	1780	रामनिवास सुपडा	AAO-I	11-01-85	एफ.1(सी) 1780 / जांच / 586-590 दि. 27.12.2022	लोकउपायन नियमों, विना निरिक्त आमंत्रित किया एवं विना आयकर कटौती के स्वच्छ मार मिसन ग्रामीण योजना पंचायत समिति, झोटवाड़ा जिले के गुगतान वित्तों को पारित किया गया ।	विभागीय आदेश क्रमांक 863-869 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा कोषाधिकारी शहर जयपुर								अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III) के यूओनोट क्रमांक 2038दिनांक 13.12.2022 के द्वारा श्री रामनिवास सुपडा, सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापान क्रमांक 586-590 दि. 27.12.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 720 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा आरोपी कार्मिक को दिष्णी चाली गई । आरोपी कार्मिक ने प्रतिउत्तर में अपने पत्र दिनांक 08.02.2023 के द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया । आरोपी के प्रतिउत्तर के प्राप्त होने पर विभागीय आदेश क्रमांक 863-869 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा कोषाधिकारी शहर जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय पत्र दिनांक 14.08.23 , 8.2.2024 के द्वारा उपर्युक्त के प्रस्ताव जिला परिसर जयपुर से मांगे गये ।
16	1782	करण लामरोड़ 9782647617	AAO-II	04-07-92	एफ.1(सी) 1782 / जांच / 671-674 दि. 24.01.2023	पद पर कार्यरत रहने के दौरान मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना के अन्तर्गत संस्था निष्कास सेवा संस्थान, मेड़ता रोड़, नगौर को कदावाये गये गुगतान राशि अविज्यतिताएं ।	विभागीय आदेश क्रमांक 1292-97 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा कोषाधिकारी, नगौर								अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III) के यूओनोट क्रमांक 104 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा श्री करण लामरोड़, सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापान क्रमांक 671-674 दि. 24.01.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। श्री करण लामरोड़, सलेख-1 द्वारा जापान का प्रतिउत्तर दिनांक 15.02.2023 को प्रस्तुत करने पर विभागीय पत्र दिनांक 27.02.2023 प्रतिउत्तर पर स्पष्ट दिष्णी मांगी गई । विभागीय पत्र क्रमांक 813 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा नवीन पदस्थापन विभाग में जापान पडुवागया गया । आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 15.02.23 को प्रतिउत्तर देने के कारण विभागीय पत्र दिनांक 11.08.23 सहायक निदेशक, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, नगौर को प्रतिउत्तर सलन करते दिष्णी अवगत करवाने हेतु लिखा गया । आरोपी कार्मिक का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर विभागीय आदेश क्रमांक 1292-97 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा कोषाधिकारी, नगौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।
16	1785	अशोक कुमार गुप्ता	AAO-II	01-01-65	एफ.1(सी) 1785 / जांच / 887-891 दि. 11.05.2023	उच्चधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना , स्वेच्छा से अनुपस्थित एवं अपने पद का दुरुल्लोप करना	कोषाधिकारी , भरतपुर								अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III) के यूओनोट क्रमांक 11 दिनांक 08.04.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार गुप्ता, सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापान क्रमांक 887-891 दि. 11.05.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। पत्र दिनांक 01.06.2023 को आरोपी का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, भरतपुर को आरोपी कार्मिक के प्रतिउत्तर पर दिष्णी चाली गई । संयुक्त शासन सचिव विल (एजस्ट) 2020 दिनांक 13.7.23 के द्वारा श्री गुप्ता सलेख-1 के विरुद्ध चल रही सीसीए 16 को निरस्त करने के प्रतिउत्तर में विभागीय पत्र दिनांक 27.07.2023 पत्र लिखा गया विभागीय आदेश क्रमांक 1281-86 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा श्री गोपाल कालरा , वरिष्ठ लेखाधिकारी वचाय सहायक नियुक्त किया गया ।

16	1786	जयराज भीपा	AAO-I	02-03-89	एफ.1(सी) 1789 / जांच / 908-912 दि. 24.05.2023	पद पर कार्यरत रहने के दौरान इन्होंने पचायत समिति पद के दौरान वित्तीय अभियन्तारे पाई गई	विभागीय आदेश कमानक 1390-96 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा कोषाधिकारी शशीण जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।									अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमानक 270 दिनांक 04.05.2023 के द्वारा श्री जयराज भीपा, सलेज-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमानक 908-912 दि. 24.05.2023 के द्वारा आरोप पत्र जाले किया गया। आरोपी कार्मिक के प्रतिउत्तर नहीं देने पर विभागीय पत्र दिनांक 11.08.2023 लिखा गया । विभागीय आदेश कमानक 1390-96 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा कोषाधिकारी शशीण जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।
16	1787	अशोक कुमार देवडा	AAO-II	15-05-69	एफ.1(सी) 1787 / जांच / 958-962 दि. 16.06.2023	पद पर कार्यरत रहने के दौरान इन्होंने पचायत समिति पद के दौरान वित्तीय अभियन्तारे पाई गई	विभागीय आदेश कमानक 1089-1095 दिनांक 11.8.23 के द्वारा कोषाधिकारी पाली									अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमानक 284 दिनांक 07.06.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार देवडा, सलेज-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमानक 958-962 दि. 16.06.2023 के द्वारा आरोप पत्र जाले किया गया। आरोपी कार्मिक द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रतिउत्तर दिनांक 27.07.23 को प्राप्त होने पर विभागीय आदेश कमानक 1089-1095 दिनांक 11.8.23 के द्वारा कोषाधिकारी, पाली को विभागीय पत्र दिनांक 06.03.2024 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी एवं वचाव सहायक की नियुक्त हेतु पत्र लिखा गया ।
16	1788	अशोक कुमार गुप्ता	AAO-II	01-01-65	एफ.1(सी) 1788 / जांच / 958-962 दि. 16.06.2023	पद पर कार्यरत रहने के दौरान इन्होंने पचायत समिति पद के दौरान वित्तीय अभियन्तारे पाई गई	विभागीय आदेश कमानक 1309-14 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा कोषाधिकारी सचिवालय जयपुर									अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमानक 31 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार देवडा, सलेज-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमानक 1037-1041 दि. 10.07.2023 के द्वारा आरोप पत्र जाले किया गया। आरोपी कार्मिक का प्रतिउत्तर दिनांक 24.07.23 को प्राप्त होने पर विभागीय पत्र दिनांक 11.08.2023 एलएफएडी भरतपुर को कार्मिक की दिव्गी अवगत करवाने हेतु लिखा गया ।विभागीय आदेश कमानक 1309-14 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा कोषाधिकारी सचिवालय जयपुर को प्रकरण में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश कमानक 1380-84 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा श्री गोपाल कालरा, वरिष्ठ लेखाधिकारी एलएफएडी भरतपुर को उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया ।
16	1789	अशोक कुमार गुप्ता	AAO-II	01-01-65	एफ.1(सी) 1789 / जांच / 1027-1031 दि. 07.07.2023	राजकीय रिकार्ड नहीं उपलब्ध करवाकर रिकार्ड में हेराफेरी करना										अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमानक 31 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार देवडा, सलेज-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमानक 1027-1031 दि. 07.07.2023 के द्वारा आरोप पत्र जाले किया गया। आरोप पत्र जाले किया गया। आरोपी कार्मिक का अभिकथन दिनांक 24.07.2024 को प्राप्त होने पर विभागीय पत्र दिनांक 11.08.23 एवं 06.03.2024, 6.03.2024 के द्वारा एलएफएडी भरतपुर पर दिव्गी चाली गई ।

16	1790	अशोक कुमार गुप्ता	AAO-II	01-01-65	एफ.1(सी) 1790 / जांच / 1037-1041 दि. 10.07.2023	आरोप 3 लगाये गये स्वेच्छा से अनुपस्थित					अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमांक 31 दिनांक 06.04.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार देवडा, सलेअन-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1032-1036 दि. 07.07.2023 के द्वारा आरोपी कार्मिक का प्रतिउत्तर दिनांक 24.07.23 को प्राप्त होने पर विभागीय पत्र दिनांक 31.07.2023 , 5.3.2024 एलएफडी भरतपुर को कार्मिक की दिष्णी अवगत करवाने हेतु लिखा गया ।
16	1791	हरिकेश भीपा	AAO-I	11-08-69	एफ.1(सी) 1790 / जांच / 1016-1022 दि. 06.07.2023	आरोप 5 लगाये गये रजिस्टर में इन्द्राज नियमानुसार नहीं करना , भ्रूतान से पूर्व अनुपय पत्र का निष्पादित नहीं करना आदि	विभागीय आदेश कमांक 1096-1101 दिनांक 11.8.23 के द्वारा कोषाधिकारी, करौली				अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमांक 530 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा श्री हरिकेश भीपा , सलेअन-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1016-1022 दि. 06.07.2023 के द्वारा आरोपी कार्मिक द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रतिउत्तर दिनांक 26.07.23 को प्राप्त होने पर आरोपी कार्मिक द्वारा उक्त ज्ञापन का प्रतिउत्तर दिनांक 26.07.23 को प्राप्त होने पर विभागीय पत्र दिनांक 31.07.2023 , 5.3.2024 एलएफडी भरतपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश कमांक 1096-1101 दिनांक 11.8.23 के द्वारा कोषाधिकारी, करौली को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश कमांक 1528-29 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी विभागीय आदेश कमांक 1528-29 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी
16	1784	खुशवन्त पाटीदार	Jr.Acctt	05-01-92	एफ.1(सी) 1784 / जांच / 1138-40 दि. 29.08.2023	राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही	विभागीय आदेश कमांक 1184-1188 दिनांक 03.10.23 के द्वारा कोषाधिकारी, शहर उदयपुर	विभागीय आदेश कमांक 1385-89 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी परिवर्तन कर श्री वर्मेश्वर सिंह चौहान , उपकोषाधिकारी, सीमलवाड़ा को बनाया गया ।			सहायक निदेशक(कार्मिक-1/गो) के यूओनोट कमांक 700 दिनांक 16.08.2023 के द्वारा श्री खुशवन्त पाटीदार, कठलेखाकार के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1138-40 दि. 29.08.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का प्रतिउत्तर दिनांक 11.09.2023 के द्वारा प्राप्त होने पर विभागीय आदेश कमांक 1179-83 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा कोषाधिकारी, कोटा को जांच अधिकारी बनाया गया । विभागीय पत्र दिनांक 21.12.2023 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी के प्रस्ताव मंगवाये गये । विभागीय आदेश कमांक 1349-53 दिनांक 11.01.2024 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश कमांक 1385-89 दिनांक 31.01.2024 के द्वारा उपस्थापक अधिकारी परिवर्तन कर श्री वर्मेश्वर सिंह चौहान , उपकोषाधिकारी, सीमलवाड़ा को बनाया गया ।
16	1793	श्रीमती वर्मा रानी पाल	Jr.Acctt	09-12-87	एफ.1(सी) 1793 / जांच / 1134-37 दि. 29.08.2023	कार्यालय समय पर नहीं आना	विभागीय आदेश कमांक 1184-1188 दिनांक 03.10.23 के द्वारा कोषाधिकारी, कोटा	अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1/गो) के यूओनोट कमांक 860 दिनांक 25.08.2023 के द्वारा श्रीमती वर्मा रानी पाल, कठलेखाकार के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1134-37 दि. 29.08.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का प्रतिउत्तर दिनांक 12.09.2023 के द्वारा प्राप्त होने पर विभागीय आदेश कमांक 1184-88 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा कोषाधिकारी, कोटा को जांच अधिकारी बनाया गया । जांच अधिकारी की नियुक्ति होने के उपरान्त विभागीय पत्र कमांक 1530-31 दिनांक 5.3.24 के द्वारा उपस्थापक एवं बचाव सहायक बनाने हेतु पत्र लिखा गया			

16	1794	उत्तम चन्द जैन	AAO-I	30-09-23	एफ.1(सी) 1794 / जांच / 1115-61 दि. 15.09.2023	मकान क्रियाया की वसूली								अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट क्रमांक 1181 दिनांक .15.09.2023 के द्वारा श्री उत्तम चन्द जैन, सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापन क्रमांक 1555-61 दि. .15.09.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा आरोपी कार्मिक को अभिकथन भिजवाने हेतु लिखा गया ।
16	1795	गोविन्द सेनी	AAO-I	17-07-90	एफ.1(सी) 1795 / जांच / 1222-24 दि. 26.10.2023	आरोपों की आवृत्तता करना समय रहते प्रतिवेदनों का उत्तर नहीं देना , रिश्वत की माग करना आदि	विभागीय आदेश क्रमांक 1287-91 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा कोषाधिकारी शहर जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।							अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट क्रमांक 1359 दिनांक 20.10.2023 के द्वारा श्री उत्तम चन्द जैन, सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापन क्रमांक 1222-24 दि. 26.10.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय आदेश क्रमांक 1287-91 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा कोषाधिकारी शहर जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । विभागीय आदेश क्रमांक 1406 दिनांक 01.02.2024 के द्वारा बचाव सलायक होने की सड़मति मंजवाई गई । विभागीय आदेश क्रमांक 1443-48 दिनांक 08.02.2024 के द्वारा श्री हनुमान सहाय भोपा, वरिष्ठ लेखाधिकारी , निरीक्षण विभाग, जयपुर को प्रकरणा नें उपस्थपक अधिकारी नियुक्त किया गया ।
16	1797	अशोक कुमार अग्रवाल	AAO-II	05-07-65	एफ.1(सी) 1797 / जांच / 1257-1262 दि. 01.12.2023	अनिवर्भितता एवं कर्जी भुगतान								अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव -11 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 1257-1262 दिनांक 01.12.2023 के द्वारा श्री अशोक कुमार अग्रवाल, सलेख-11 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापन क्रमांक 1257-1262 दि. 01.12.2023 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। विभागीय पत्र क्रमांक 1524 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा आरोपी कार्मिक को अभिकथन भिजवाने हेतु लिखा गया ।
16	1801	अवनीश कुमार , सलेख-11	AAO-II	26-01-93	एफ.1(सी) 1801 / जांच / 2024 /	रिश्वत एवं भ्रष्टाचार करना								अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11) के यूओनोट क्रमांक 1231 दिनांक 18.01.2024 के द्वारा श्री अवनीश कुमार, सलेख-11 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.द.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापन क्रमांक 1397-1404 दि. 31.01.24 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।

16	1802	राजेश कुमार खण्डेलवाल , सलेअ-1	AAO-I	02-04-67	एफ.1(सी) 1802 / जांच /2024 / 1416-19 दिनांक 01.02.2024	रिश्त एवं भ्रष्टाचार करना		विभागीय आदेश क्रमांक 1517-20 दिनांक 04.03. 2024 के द्वारा कोषालय, दिल्लीइगद को जांच अधिकारी बनाया गया ।							अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट क्रमांक 1860 दिनांक 30.01. 2024 के द्वारा श्री राजेश खण्डेलवाल, सलेअ-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 1416-19 दि.01.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 22.02.2024 को अभिकथन प्रस्तुत करने पर विभागीय आदेश क्रमांक 1517-20 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा कोषालय, दिल्लीइगद को जांच अधिकारी बनाया गया ।
16	1803	प्रकाश शर्मा, निलम्बित सलेअ-1	AAO-I	02-04-65	एफ.1(सी) 1803 / जांच /1426-29 दिनांक 06.02.2024	रिश्त एवं भ्रष्टाचार करना									अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट क्रमांक 1891 दिनांक 31.01. 2024 के द्वारा श्री प्रकाश शर्मा, सलेअ-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 1426-29 दि.06.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया ।
16	1804	अशोक कुमार रांका, सलेअ-1	AAO-I	26-08-66	एफ.1(सी) 1804 / जांच /1440-43 दिनांक 07.02.2024	पद का दुरुपयोग एवं अनियमित भुगतान									अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट क्रमांक 1950 दिनांक 02.02. 2024 के द्वारा श्री अशोक कुमार रांका, सलेअ-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 1440-43 दि.07.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया ।
16	1805	दिनेश कुमार सोनी, सलेअ-1	AAO-I	01-07-66	एफ.1(सी) 1805 / जांच /1437-37 दिनांक 07.02.2024	रंग हथों गिरफ्तार रिश्त									अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट क्रमांक 1951 दिनांक 02.02. 2024 के द्वारा श्री दिनेश कुमार सोनी , सलेअ-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन क्रमांक 1437-37 दि. 07.02. 2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया ।

16	1806	रामचुपकान मुंडेलिया, सलेअ-1	AAO-I	01-08-67	एफ.1(सी) 1806 / जांच / 1484-86 दिनांक 26.02.2024	रंगे हाथों निरूपकार रिखल							अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमांक 3001दिनांक 22.02.2024 के द्वारा श्री दिनेश कुमार सोनी , सलेअ-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1484-86 दि. 26.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।
16	1807	रामनिवास, सलेअ ग	AAO-II	04-08-91	एफ.1(सी) 1807 / जांच / 1441-44 दिनांक 08.02.2024	रंगे हाथों निरूपकार रिखल	विभागीय आदेश कमांक 1536-41 के द्वारा 2024 कोषाधिकारी हनुमानाढ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।						अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमांक 1441दिनांक 07.02.2024 के द्वारा श्री रामनिवास , सलेअ-ग के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1441-44 दि. 07.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया। आरोपी का प्रतिचत्तर प्राप्त होने पर विभागीय आदेश कमांक 1536-41 दिनांक 6.03.2024 के द्वारा कोषाधिकारी हनुमानाढ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।
16	1808	श्री बसंत कुमार शाहजी , सलेअ-ग	AAO-II	04-08-91	एफ.1(सी) 1808 / जांच / 1457-59 दिनांक 13.02.2024	रिखल लेने का आरोप							अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमांक 1994दिनांक 09.02.2024 के द्वारा श्री बसंत कुमार शाहजी , सलेअ-ग के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1457-59 दि. 13.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।
16	1810	श्री प्रभाती लाल भीणा , सलेअ-ग	AAO-I	20-04-67	एफ.1(सी) 1810 / जांच / 1460-62 दिनांक 14.02.2024	वेतन से सम्पूर्ण या आंशिक रूप से वसूली एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्तर्गत वसूली							अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1) के यूओनोट कमांक 1999 दिनांक 12.02.2024 के द्वारा श्री प्रभाती लाल भीणा, सलेअ-ग के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय ज्ञापन कमांक 1460-62 दि. 14.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।

16	1811	श्री मोहित पाटीदार , सलेख-11	AAO-II	20-04-67	एफ.1(सी) 1810 / जांच / 1491-97 दिनांक 27.02.2024	अभियोगिता एवं फर्जी भुगतान											अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11) के यूओनोट क्रमांक 1928 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा श्री मोहित पाटीदार, सलेख-11 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापन क्रमांक 1491-97 दि. 27.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।
16	1812	श्री राम लाल भीष्ण, सलेख-1	AAO-I	29-09-68	एफ 1(सी) 1810 / जांच / 1503-08 दिनांक 29.02.2024	अभियोगिता एवं फर्जी भुगतान											अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-11) के यूओनोट क्रमांक 3010 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा श्री राम लाल भीष्ण, सलेख-1 के विरुद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र ,अ.ब.स एवं द प्रस्तुत किया गया । आरोपी कार्मिक को विभागीय जापन क्रमांक 1503-08 दि. 29.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया।

1769	रमेश चन्द भीणा	AAO-I	01-07-67	एफ.1(सी) 1769 / जांच / 2022 / 240-43 दि. 04.07.2022								आरोपी को दि.04.07.22 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी कार्मिक को ज्ञापन पर अपना प्रतिउत्तर देने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 23.11.2023 एवं 15.06.23 के लिखा गया ।
1798	राजुनाथ योगी	LDC	25-11-87	एफ.1(सी) 1798 / जांच / 2023 / 1302-05 दि. 22.12.2023	राजकार्य के प्रति लापरवाही उदासीनता आदि							आरोपी को दि. 22.12.23 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी के अभिकथन पर इन्हें व्यक्तिगत दिनांक 26.02.24 को सुनवाई की गई ।
1792	हरिकिशन पंवार	AAO-II	02-09-94	एफ.1(सी) 1792 / जांच / 2023 / 1196-99 दि. 03.10.2023	राजकार्य के प्रति लापरवाही उदासीनता आदि उच्चाधिकारी की आदेशों की सुचना							आरोपी को दि. 03.10.23 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी कार्मिक प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर इगनप कार्यालय बीकानेर से रिपणी प्राप्त करने हेतु दिनांक 5.2.24 को स्मरण पत्र लिखा गया ।
1796	राजराज भीणा	AAO-I	25.11.70	एफ.1(सी) 1796 / जांच / 2023 / 1253-56 3 दि. 01.12.2023								आरोपी को दि. 01.12.23 के द्वारा आरोप पत्र जारी। आरोपी कार्मिक द्वारा दिनांक 21.12.2023 के द्वारा प्रतिउत्तर दिया गया । आरोपी कार्मिक के प्रतिउत्तर पर जिला परिषद, कोटा से विभागीय पत्र दिनांक 02.01.2024 के द्वारा रिपणी वाही गई ।
1809	वृजेश कुमार	AAO-I	03-02-81	एफ.1(सी) 1809 / जांच / 2024 / 1468-70 दि. 19.02.2024	राजकार्य के प्रति लापरवाही उदासीनता आदि							अतिरिक्त निदेशक कार्मिक-1 के यूओनोट क्रमांक 1991 दिनांक 09.02. 204 के द्वारा श्री वृेश कुमार , सलेज-1 के विरुद्ध सीसीए-17 में आरोप पत्र , विवरण अ.ब.स एवं द संलग्न कर भिजवाये गये । विभागीय ज्ञापन क्रमांक 1468-70 दिनांक 19.02.2024 के द्वारा आरोप पत्र जारी किये गये ।